रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938
No. 677] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 752(अ).—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 08.02.2017 के पृष्ठ 1 से 4 तक प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 371(अ), तारीख 08.02.2017 में :—

I. पृष्ठ संख्या 1 पर 12 पंक्ति में उप बिन्दु (1) से पहले '1.' लगाएं ।

II. पृष्ठ संख्या 1 की सातवीं पंक्ति में तथा पैरा 1 (1) की चौथी पंक्ति में व पैरा 1 (2) की तीसरी पंक्ति में 'राजसहायता' के स्थान पर 'सहायकी' पढ़ें।

III. पृष्ठ संख्या 1 पर पैरा 1 (1) की प्रथम पंक्ति में, 1 (2) की प्रथम पंक्ति में तथा पृष्ठ संख्या 2 पर पैरा 1 (3) की सातवीं पंक्ति में 'राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य राजसहायता' के स्थान पर 'सहायकी खाद्य अनाज या खाद्य सहायकी' पढ़ें।

IV. पृष्ठ संख्या 1 पर पैरा 1 (1) की दूसरी पंक्ति में 'व्यक्तियों' के स्थान पर 'व्यैष्टिकों' पढ़ें।

V. पृष्ठ संख्या 1 पर पैरा 1 (2) की दूसरी पंक्ति में 'नामांकित' के स्थान पर 'नामेकित' पढ़ें।

VI. पृष्ठ संख्या 1 पर पैरा 1 (1) की तीसरी पंक्ति में 'राजसहायता प्राप्त अनाज' के स्थान पर 'सहायकी प्राप्त खाद्य अनाज' तथा पैरा 1 (2) की दूसरी पंक्ति में 'राजसहायता प्राप्त अनाज' के स्थान पर 'खाद्य अनाज सहायकी' पढ़ें।

VII. पृष्ठ संख्या 1 पर पैरा 1 (2) की चौथी पंक्ति में 'अधिनियम धारा 5' के स्थान पर 'अधिनियम धारा 3' पढ़ें।

VIII. पृष्ठ संख्या 1 के पैरा 1 (2) की अंतिम पंक्ति में '(www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची पर उपलब्ध है)' के स्थान पर '(www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची)' पढ़ें।

IX. पृष्ठ संख्या 1 के पैरा 1 (2) की चौथी पंक्ति में तथा पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 1 (3) की छठी पंक्ति में 'व्यक्ति' के स्थान पर क्रमश: 'व्यष्टि' तथा 'व्यष्टिक' पढ़ें।

X. पृष्ठ संख्या 2 पैरा 1 (3) के उपपैरा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को पढ़ा जाए:—

'(ग) (i) भारत निर्वाचन आयोग जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) आय-कर द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटरयान अधिनियम, 1998 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी किया गया पता पत्र जिस पर नाम एवं फोटो भी हो; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अभिहित प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।'

XI. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 2 (1) में पहली और दूसरी पंक्ति में 'सस्ते गल्ले' के स्थान पर 'उचित दर' पढ़ें।

XII. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 2 (1) में चौथी पंक्ति में 'आधार के लिए नामांकन कराएं' के स्थान पर 'आधार के लिए 30 जून 2017 तक नामांकन कराएं' पढ़ें।

XIII. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 2 की पहली पंक्ति में 'राजसहायता प्राप्त अनाज देना या खाद्य राजसहायता का' के स्थान पर 'सहायकी खाद्य अनाज देना या खाद्य सहायकी के' पढ़ें।

XIV. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 2 (2) में पाँचवी पंक्ति में 'गल्ले की' के स्थान पर 'उचित दर' पढ़ें।

XV. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 4 की पहली व दूसरी पंक्ति में तथा पैरा 5 की पहली, दूसरी व तीसरी पंक्ति में 'परिवार' के स्थान पर 'कुटुंब' पढ़ें।

XVI. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 5 की दूसरी पंक्ति में 'राजसहायता प्राप्त' के स्थान पर 'सहायकी खाद्य' पढ़ें तथा दूसरी पंक्ति में फिर से आए हुए 'राजसहायता' शब्द के स्थान पर 'सहायकी' पढ़ें।

XVII. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 5 की तीसरी पंक्ति में 'संदाय' के स्थान पर 'सदस्य' तथा 'दशओं' के स्थान पर 'दशाओं' पढ़ें।

[फा. सं. 9(2)/2016-पीडी II]

दीपक कुमार, संयुक्त सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.07 14:07:12 +05'30'